

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

कमांक एफ 27 (36) ग्रावि/अनु-5/जीकेएन/बीएसआर./प्रगति/ 2015-16

जयपुर, दिनांक 25 फरवरी, 2016


अधिकांश अधियन्ता, (अभि.) एवं
सदस्य सचिव, जिला दर निर्णायक समिति,
जिला परिषद् समस्त राजस्थान।
(बुन्दी, चित्तौड़, चुरू, सीकर, व सिरौही को छोड़कर)

विषय:- वर्ष 2016-17 की पंचायत समिति स्तरीय दर अनुसूची (बीएसआर) हेतु बेसिक दरों का निर्धारण एवं दर अनुसूची का अनुमोदन के सम्बंध में।

प्रसंग:- विभागीय परिपत्र दिनांक 9.10.2015, पत्रांक पं. 27 (83) ग्राविवि/
अनु-5/जीकेएन/बीएसआर./बेसिक दर तुलना/ 2015-16 दिनांक 12.01.2016
एवं दिनांक 27.01.2016


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्ष 2016-17 की पंचायत समिति स्तरीय दर अनुसूची (बीएसआर) हेतु बेसिक दरों का निर्धारण एवं दर अनुसूची का अनुमोदन दिनांक 15.01.2016 तक आवश्यक रूप से कराने हेतु प्रासंगिक पत्र द्वारा निर्देशित किया गया था। सॉफ्टवेयर से बीएसआर सृजन की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आज दिनांक तक एक भी पंचायत समिति की दर अनुसूची का अनुमोदन नहीं हुआ है। अधिकांश पंचायत समितियों में दर सर्वेक्षण एवं दर प्रस्ताव समिति की बैठक का आयोजन होना भी अभी शेष है (प्रगति सलग्न है)।


आपसे पुनः अनुरोध है कि वर्ष 2016-17 की पंचायत समिति स्तरीय दर अनुसूची (बीएसआर) हेतु सुसंगत बेसिक दरों का निर्धारण एवं दर अनुसूची का अनुमोदन की कार्यवाही एक सप्ताह में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करावें।


(के. के. शर्मा)
अधीक्षण अधियन्ता ग्रावि,

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
- 2 जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला दर निर्णायक समिति, जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) समस्त राजस्थान(बुन्दी, चित्तौड़, चुरू, सीकर व सिरौही को छोड़कर)।
- 3 मुख्य कार्यकारी अधिकारी(ग्रा.वि.प्र.), जिला परिषद समस्त राजस्थान (बुन्दी, चित्तौड़, चुरू, सीकर व सिरौही को छोड़कर)।
- 4 परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो एवं मु), को वेब साइट पर अभियांत्रिकी एवं बेसिक शिड्यूल ऑफ़ रेट्स दोनो वर्गों में अपलोड कराने हेतु।
- 5 रक्षित पत्रावली।


अधीक्षण अधियन्ता ग्रावि,


24/1/16